न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

रिव्यू प्रा.पत्र संख्या– 84/16 सन् 2016

बउनवानी :–

1. साबूद्वीन पुत्र मुंश्या जाति गद्वी मुसलमान निवासी मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
2. रजाक खां पुत्र मुंश्या जाति गद्वी मुसलमान निवासी मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
3. हारून खां पुत्र मुंश्या जाति गद्वी मुसलमान निवासी मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
4. अनवार खां पुत्र मुंश्या जाति गद्वी मुसलमान निवासी मखोली तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत मखोली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मखोली तह. सवाईमाधोपुर
2. नबीशेर खां पुत्र श्री सोबत अली जाति गद्वी मुसलमान निवासी मखोली तह0 सवाईमाधोपुर

(रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू किये जाने निर्णय दिनांक 14.6.2016 (पंचायत) निगरानी संख्या 30/2015 उनवानी साबुद्वीन बनाम ग्राम पंचायत मखोली वगै. न्यायालय जला कलेक्टर सवाई माधोपुर अन्तर्गत धारा 97(3) राज0 पंचायतीराज अधि.1994)

उपस्थित : 1. श्री श्रीदास सिंह राजपूत — वकील प्रार्थीगण
2. श्री कमलेश कुमार जैन — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 10.4.2019

रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की निगरानी संख्या 30/2015 बउनवानी साबुद्वीन बनाम ग्राम पंचायत मखोली में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2016 को इस कथन के साथ रिव्यू करवाने बाबत प्रस्तुत किया है कि उक्त निगरानी के निर्णय में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण तथ्य व साक्ष्य का विवरण निर्णय में गलती से नही दिया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण तथ्य व साक्ष्य का विवरण निर्णय देते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवायी हेतु तलब किया गया एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र से संबंधित न्यायालय की निगरानी संख्या 30/15 की मूल मिसल तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि उक्त निगरानी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.6.2016 को निर्णित की जाकर निगरानी प्रार्थीगण को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नबीशेर खां पुत्र शोबत अली जाति गद्वी निवासी मखोली को कमजोर वर्ग का मानकर नियम,158 पंचायत रूल्स के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2010 को आवासीय भूमि का ग्राम मखोली मे पटटा जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुप चुप तरीके से पंचायत राज नियमों की पालना किये बिना यह पटटा जारी किया गया था। यह तर्क भी दिया कि जिस स्थान का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया गया है उस स्थल का पटटा ग्राम पंचायत मखोली द्वारा दिनांक 13.6.1968 को प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी किया गया था। तब से ही इस स्थान पर प्रार्थीगण का घूडा पडा हुआ है। तथा यह स्थल गनी के मकान के पास स्थित है जिसके पास मे ग्राम कानसीर जाने वाला रास्ता जाता है इस प्रकार प्रार्थीगण प्रकरण में हितबद्व पक्षकार है। यह कथन भी किया कि अप्रार्थी संख्या 2 बी0पी0एल नही है इस बाबत् प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे सबूत के तौर पर जीप संख्या आर.जे.25 टीए 1874 के जिला परिवहन अधिकारी सवाईमाधोपुर के पंजीयन

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रजिस्टर की फोटोप्रति पेश की है जिसके अनुसार उक्त वाहन विक्रेता रामजीलाल मीना से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया है। यह जीप अभी भी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा उसके पास मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण तथ्य व साक्ष्य का विवरण निर्णय में गलती से नही दिया गया है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 सदैव से ही आर्थिक रूप से सक्षम है तथा उसने एक जीप संख्या आरजे 25 टी 0422 मंजूर अली से दिनांक 16.4.2007 को खरीदी थी जिसे उसने बादाम देवी को दिनांक 23.12.2009 को विक्रय कर दिया है। इस जीप के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति भी प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य व साक्ष्य का विवरण भी निर्णय में गलती से नही दिया गया है। यह कथन भी किया कि अप्रार्थी नवीशेर खान का वाहन बोलेरो संख्या आरजे 25 टीए 0196 दिनांक 22.12.2009 से वर्ष 2011 तक पंचायत समिति सवाईमाधोपुर मे किराये से चली है। इस प्रकार पटटा जारी होने की दिनांक 20.12.2010 को अप्रार्थी संख्या 2 बोलेरो जीप का स्वामी था। इस बाबत माननीय न्यायालय द्वारा विकास अधिकारी सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट भी मांगी गयी थी परन्तु विकास अधिकारी सवाईमाधोपुर ने माननीय न्यायालय को भ्रमित कर झूंठी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। प्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जो प्रार्थीगण को दिनांक 16.6.2016 को प्राप्त हुई है। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.6.2016 को ही निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अहम साक्ष्य रिकार्ड पर नही आ सके जिनके आधार पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्रभावित हो सकता था। यह कथन भी किया कि अप्रार्थी नबीशेर की प्रार्थना पत्र में वर्णित कमाण्डर जीप संख्या आरजे 25 टी 0422 वर्ष 2005–06 से 21.12.2009 तक पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में किराये से चलायी गयी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 कई चार पहिया वाहनो का स्वामी रहा है। जो किसी भी प्रकार से बी.पी. एल. नही है। यह महत्वपूर्ण तथ्य गलती से माननीय न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज कर दिया गया है। यह कथन भी किया कि अप्रार्थी संख्या 2 वर्ष 2005 से 2014 तक लगातार विकास अधिकारी व पंचायत समिति सवाईमाधोपुर से जुडा हुआ रहा है तथा उसका बडा भाई शरफूद्वीन जो अध्यापक है पिछले 15 वर्षो से पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में किसी न किसी पद पर कार्यरत है। इन दोनो स्थितियों का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना नाम बी0पी0एल0 सूची मे जुडवा लिया है। इस तथ्य को माननीय न्यायालय ने नजर अन्दाज कर दिया है। यह कथन भी किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पटटे की आड में अप्रार्थी संख्या 2 ने इन्द्रा आवास स्वीकृत करवा लिया तथा पटटा स्थल पर इन्द्रा आवास नही बनाया तथा पटटा स्थल से करीब 100 मीटर दूर खाली स्थान पर इन्द्रा आवास का निर्माण कर लिया है। जिसकी शिकायत प्रार्थीगण ने श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसपर श्रीमान के मौके की रिपोर्ट विकास अधिकारी से तलब की थी जिसमे सचिव ग्राम पंचायत मखोली से मौका रिपोर्ट मांगी थी। सचिव ग्राम पंचायत मखोली ने दिनांक 13.6.2016 को रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 14.6.2016 को विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा की गयी समस्त गैर कानूनी कार्यवाही प्रकट हो गयी है कथन के समर्थन मे सचिव की मौका रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि मुताबिक मौका रिपोर्ट जिस स्थान का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया गया है उस स्थान पर आज भी अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नही है। अतः अन्दर मयाद प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार करने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया कि न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा निगरानी संख्या 30/15 बउनवानी साबुद्वीन बनाम ग्राम पंचायत मखोली में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2016 मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। उक्त निर्णय पारित करते समय न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से तत्समय पेश किये गये सभी साक्ष्य सबूतो एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर एवं अति.जिला शिक्षा अधिकारी कम बी.ई.ई.ओ. सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट का निर्णय में अंकन करते हुए पारित किया

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज यथा ग्राम पंचायत मखौली की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2016 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के पत्रांक 506 दिनांक 16.6.2016 की रिपोर्ट न्यायालय में तत्समय प्राप्त नही हुई थी। उक्त दोनो रिपोर्ट निगरानी में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2016 के बाद तैयार की गयी है। जब निर्णय दिनांक को उक्त साक्ष्य सबूत अस्तित्व मे ही नही था तो ऐसे साक्ष्य सबूतों को निर्णय मे अंकन किया जाना सम्भव नही है। यदि प्रार्थीगण को निर्णय के बाद कोई साक्ष्य सबूत प्राप्त हो जाते है तो उनके आधार पर सक्षम न्यायालय मे उक्त निर्णय की अपील कर सकता है बाद में प्राप्त अथवा संकलित किये गये उक्त साक्ष्य के आधार पर पूर्व मे पारित निर्णय को रिव्यू नही करवाया जा सकता है। पूर्व में पारित निर्णय उसी स्थिति में रिव्यू किया जा सकता है जब कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किया गया हो ओर उसका निर्णय मे अंकन नही किया गया हो अथवा किसी लिपिकीय त्रृटी को सही किया जाना हो। चूंकि अप्रार्थी द्वारा तत्समय प्रस्तुत सभी साक्ष्य दस्तावेजात का अंकन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 14.6.2016 में किया गया है इसलिए निर्णय दिनांक 14.6.2016 में किसी प्रकार की त्रृटि नही है। निर्णय की दिनांक के पश्चात प्राप्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। जहॉ तक अप्रार्थीगण के पिता के नाम का उक्त स्थान का पटटा बना होने का प्रश्न है तो तथ्य का अंकन न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय में किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि इस न्यायालय की निगरानी संख्या 30/15 साबूद्वीन बनाम ग्राम पंचायत मखौली में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2016 में तत्समय पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्य दस्तावेज एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत सभी साक्ष्य दस्तावेजात अंकन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना ग्राम पंचायत मखोली की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2016 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के पत्रांक सू.का.अ/2016/506 दिनांक 16.6.2016 को आधार मानते हुए प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उक्त दोनो ही दस्तावेज निर्णय दिनांक 14.6.2016 के बाद सृजित होकर प्रार्थीगण को प्राप्त हुए है निगरानी मे पारित निर्णय दिनांक को उक्त दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत नही हुए थे। इस प्रकार तत्समय उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 30/15 में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2016 में किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि प्रतीत नही होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ। ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 15:11:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: